



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164174

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7915/2026

इनाम दास

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राजेश कुमार कन्नौजिया

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 11 सन् 2018, धारा 420, 468, 471 एवं 120-बी भा.दं.सं., थाना-दिल्ली गेट, जनपद मेरठ में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण की एफ.आई.आर. दिनांक 17.01.2018 को आवेदक तथा कुल 83 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कन्या विद्याधन योजना से संबंधित सरकारी धन का गबन किया, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए संपूर्ण आरोप पूर्णतः झूठे हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित गबन वर्ष 2006-07 में हुआ बताया गया है, किंतु वर्तमान प्रकरण की एफ.आई.आर. वर्ष 2018 में दर्ज की गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान भी आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क के अन्तर्गत नोटिस की तामील के पश्चात उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया तथा ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने विवेचना में सहयोग नहीं किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात आवेदक को आशंका है कि यदि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित गबन के 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात आवेदक को जेल भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक सहित कुल 84 व्यक्तियों तथा रामबीर, राजबीर पाल सिंह, प्रकाश वीर एवं मदनपाल सिंह को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त रामबीर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.09.2025 के आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2045 सन् 2025 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है तथा सह-अभियुक्त राजबीर पाल सिंह, प्रकाश वीर, मदनपाल सिंह, जयप्रकाश, गुरुवचन पाल सिंह, रघुवंश कुमार शर्मा, जितेंद्र सिंह, रविदत्त शर्मा, प्रहलाद सिंह, हरिशरण, ब्रह्मदत्त शर्मा, अतर सिंह, हरवीर सिंह, राकेश कुमार, जयप्रकाश एवं सम्पाल सिंह को क्रमशः अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8007 सन् 2025, 6389 सन् 2026, 1621 सन् 2026, 1358 सन् 2026, 3898 सन् 2026, 4073 सन् 2026 तथा 5363 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, यह विवादित नहीं है कि कथित गबन की गई धनराशि पहले ही जमा कर दी गई है।

6- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7- आरोप है कि आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कन्या विद्याधन योजना से संबंधित सरकारी धन का गबन किया, किंतु वर्तमान प्रकरण की एफ.आई.आर. आवेदक सहित कुल 84 व्यक्तियों के विरुद्ध दस वर्ष से अधिक समय पश्चात दर्ज की गई। सह-अभियुक्त राजबीर पाल सिंह, प्रकाश वीर, मदनपाल सिंह, जयप्रकाश, गुरुवचन पाल सिंह, रघुवंश कुमार शर्मा, जितेंद्र सिंह, रविदत्त शर्मा, प्रहलाद सिंह, हरिशरण, ब्रह्मदत्त शर्मा, अतर सिंह, हरवीर सिंह, राकेश कुमार,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जयप्रकाश एवं सम्पाल सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

8- उपर्युक्त विवेचना के अनुसार प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10- आवेदक- **इनाम दास** आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i- आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन से की गई हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

05 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।